कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 10858/टास्क फोर्स–2/ई–लाटरी/2019–20/लखनऊ : दिनांक : फरवरी 26 ,2019

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर की दुकानों व माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना

इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या–43147/दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019–20/प्रयागराज : दिनांक : जनवरी 11, 2019 के अन्तर्गत देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर की दुकानों व माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना के द्वितीय चरण/तृतीय चरण हेतु निर्धारित ई–लाटरी हेतु निर्धारित/प्रकाशित तिथियों में कतिपय संशोधन करते हुये समय–सारिणी निम्नवत पुनर्निर्धारित की जाती है:–

द्वितीय चरण की संशोधित समय सारणी

	द्वितीय चरण	
1 (i)	प्रथम चरण की ई–लाटरी के पश्चात् अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन ई–लाटरी प्रकिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब व भांग के प्रकरण में प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए ऑन लाइन आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु आवेदन पत्रों को जमा करने की कार्यवाही दिनांक 28.02.2019 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर दिनांक 05.03.2019 को समय पूर्वान्ह 15:00 बजे तक का उल्लेख करते हुये समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा विभागीय व जनपद की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन (इसके उपरान्त उक्त आंकड़ों में परिवर्तन संभव नहीं होगा।)	28.02.2019
(ii)	द्वितीय चरण में ऑन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	05.03.2019 को 15:00 बजे अपरान्ह तक
(iii)	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	05.03.2019 से 06.03.2019 को 10:00 बजे पूर्वान्ह तक
(iv)	ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	07.03.2019 को अपरान्ह 14:00 बजे से, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर

तृतीय चरण की संशोधित समय सारणी

	तृतीय चरण	

2 (i)	द्वितीय चरण की ई–लाटरी के पश्चात् अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर, भांग की दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन ई–लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब व भांग के प्रकरण में प्रास्थिति, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए ऑन लाइन आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु आवेदन पत्रों को जमा करने की कार्यवाही दिनांक 10.03.2019 को प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ कर दिनांक 12.03.2019 को अपरान्ह 17:00 बजे तक का उल्लेख करते हुये समाचार पत्रों में प्रकाशन तथा विभागीय व जनपद की वेबसाइट पर उनका प्रदर्शन (इसके उपरान्त उक्त आंकडों में परिवर्तन संभव नहीं होगा।)	10.03.2019
(ii)	द्वितीय चरण में ऑन लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	12.03.2019 को अपरान्ह 17:00 बजे तक
(iii)	ई–लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	12.03.2019 से 13.03.2019 को पूर्वान्ह 10:00 बजे तक
(iv)	ई–लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	14.03.2019 को 14:00 बजे से, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थल पर

इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या–43147/दस–लाइसेंस–421/आबकारी नीति कियान्वयन/2019–20/प्रयागराज : दिनांक : जनवरी 11, 2019 उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाय।

नोट :– 1– उपरोक्त संशोधित समय–सारिणी विभागीय वेवसाइट **www.upexcise.in** पर भी देखी जा सकती है।
2– अधिक जानकारी के लिये जनपद के जिला आबकारी अधिकारी अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क किया जा सकता है।

(पी० गुरू प्रसाद)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।